

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/19/ 220

दिनांक 28/8/19

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

पटवार मण्डल :- झाक प्रथम

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00182	3383 15.07.2019	रावला बाडिया	2636/1	30-07-00	दांती	2636/3	00-19-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00183	3384 15.07.2019	रावला बाडिया	2582	19-18-00	दांती	2582/2	00-11-15	गै.मु. रास्ता
3	2019/00184	3385 15.07.2019	रावला बाडिया	18	49-10-00	पहाड़	18/2	01-04-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00185	3386 15.07.2019	रावला बाडिया	2636/1	30-07-00	दांती	2636/4	00-07-07	गै.मु. रास्ता
5	2019/00161	3292 12.07.2019	रावला बाडिया	1579	19-00-00	दांती	1579/2	01-12-00	गै.मु. रास्ता
6	2019/00162	3291 12.07.2019	रावला बाडिया	2462	24-07-10	दांती	2462/2	03-05-00	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

